खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या 7479/प.ग्रा.प./2007–2008/दे.दून/दिनांक 24 मार्च, 2008

जिला क्रीड़ा अधिकारी,
देहरादून।

विषयः– अवस्थापना सुविधाओं के अनुरक्षण हेतु धनराशि विषयक।

उपरोक्त विषयक खेल निदेशालय के पत्र संख्या–7161/बा.आ.प./2007–2008 /दे.दून दिनाक 04 मार्च, 2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शासन के पत्र संख्या–117/VI-1/2008–2 (6) 2007 दिनांक 29–02–2008 द्वारा 02 कार्यों हेतु रू. 3.44 लाख (रू. तीन लाख चवालीस हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति उल्लखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी थी। उक्त 02 कार्यों में से एक कार्य जनपद, देहरादून में बैडमिन्टन हाल एंव जूडो हाल के साईड ट्रैक एव पिछले भाग में जॉगिंग ट्रैक के जीर्णोद्वार हेतु रू. 210000.00 (रू. दो लाख दस हजार मात्र) की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की गयी थी कि आंगणन का तकनीकी परीक्षण कराने के उपरान्त ही धनराशि आहरित की जाय। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., देहरादून से उक्त आगणन का तकनीकी परीक्षण कराने पर कमियां इंगित की गयी थी, जिन्हें कार्यदायी संस्था, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून से इंगित कमियों को दूर कराकर तकनीकी परीक्षण हेतु संशोधित आंगणन रू. 3.10 लाख लो.नि.वि. को पुनः भेजा गया था। लो.नि.वि. ने तकनीकी परीक्षण कर उक्त आंगणन रू. 2.685 लाख आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

अतः तकनीकी परीक्षण के उपरान्त संशोधित आंगणन रू. 2.685 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2007–2008 में शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि रू. 2.10 लाख आहरित करने की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन की जाती है–

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा एवं परिव्यय की सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय, साथ ही जिन मदों के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है, ऐसे व्यय करने से पूर्व शासन/सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता एव वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी समस्त नियम एवं समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय, जिन मदों हेतु स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन एव निदेशालय को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

5. स्वीकृत धनराशि से केवल पेटीवर्क ही कराये जायेंगे। आगंणन का तकनीकी परीक्षण लो.नि.वि. देहरादून से कराया गया है। चूंकि शासन को प्रेषित पूर्व आंगणन में कार्यदायी संस्था ने त्रुटिवश सीमेंट क्रय करने हेतु दरें सम्मलित नहीं की थी, जिसके फलस्वरूप तकनीकी परीक्षण के उपरान्त संशोधित आंगणन की धनराशि रू. 2.685 लाख प्राप्त हुयी है। अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायेगा।

6. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–2008 में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–00–102–खेलकूद स्टेडियम (लघुशीर्षक 108 के स्थान पर)–09–अवस्थापना सुविधाओं का अनुरक्षण–24–वृहत निर्माण कार्य मद के आयोजनागत (राज्य सैक्टर) पक्ष के नामें डाला जायेगा।

अतः रू. 2.10 लाख (दो लाख दस हजार मात्र) की धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को उपलब्ध करायें।

उक्त बजट आवंटन को बजट पंजिका के पृष्ठ संख्या (61) पर अंकित कर लिया गया है।

(एन.एस. नेगी)
निदेशक खेल

संख्या एवं तिथि तदैव।

**प्रतिलिपि**–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, ओवरायँ बिल्डिंग सहारनपुर, रोड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा. खेलमंत्री जी उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव खेल, उत्तराखण्ड शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
8. बजट एवं राजकोषीय संसाधन निदेशालय, देहरादून।
9. राज्य योजना आयोग, देहरादून।
10. एन.आई.सी. उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
11. सम्बन्धित पत्रावली।
12. गार्ड फाईल।

(आर.के. चतुर्वेदी)
अपर निदेशक खेल